निगरानी/मुरैना/भू-र्रा/2017/2224

समक्ष मध्य प्रदेश राजस्व मण्डल, ग्वालियर

प्र. क्र.   /   /2017 निगरानी

श्री शैलेन्द्र जैन, अभि० द्वारा आज दि. 17-7-17 को प्रस्तुत। क्लर्क ऑफ कोर्ट राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर 17-7-17

1 बदन सिंह पुत्र श्री मंगल सिंह

2 रामेश्वर पुत्र बदन सिंह

निवासीगण ग्राम पर्वतपुरा वर्रेड तह0 जौरा, मुरैना

.....निगरानीकर्ता

विरुद्ध

1 मु0 राजावेटी बेवा दशरथ सिंह

2 आशा

3 राजा

4 कुन्ती

5 किसुना पुत्रीयां दशरथ सिंह

निवासीगण ग्राम पर्वतपुरा वर्रेड तह0 जौरा, मुरैना

......रेस्पोंडेट

निगरानी अन्तर्गत धारा 50 म0 प्र0 भू राजस्व संहिता विरूद्ध आदेश दिनांक 06/07/2017 प्र0 क्र0 65/2015–16/अपील न्यायालय अपर आयुक्त, चम्बल संभाग, मुरैना द्वारा पारित श्री आर. बी. प्रजापति बउन्मान बदन सिंह विरूद्ध मु0 राजावेटी

श्रीमान महोदय,

निगरानीकर्ता की ओर से निगरानी निम्नांकित प्रस्तुत है–

प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य--

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

आवृत्ति आदेश पृष्ठ

III / निगरानी / मुरैना / भू0रा0 / 2017 / 2224

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
01-09-2017	आवेदक अभिभाषक ग्राह्यता पर प्रस्तुत तर्कों पर विचार किया। आवेदक द्वारा यह निगरानी अपर आयुक्त चम्बल संभाग मुरैना के प्रकरण कमांक 65 / 2015–16 / अपील में पारित आदेश दिनांक 06–7–17 के विरूद्ध इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है। प्रश्नाधीन आदेश की सत्यापित प्रति के अवलोकन से स्पष्ट है कि आवेदकगण द्वारा तहसीलदार के समक्ष कब्जे के आधार पर नामांतरण किये जाने बावत आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया जिसे तहसीलदार ने आदेश दिनांक 23–6–2014 से निरस्त किया। तहसीलदार के आदेश को अनुविभागीय अधिकारी जौरा एवं अपर आयुक्त चम्बल संभाग द्वारा भी स्थिर रखा गया है। कब्जे के आधार पर नामांतरण किये जाने का कोई प्रावधान संहिता में नहीं है। इसके अतिरिक्त तीनों अधीनस्थ न्यायालयों के समतर्वी निष्कर्ष हैं जिनमें हस्तक्षेप का कोई आधार इस निगरानी में नहीं है। दर्शित परिस्थितियों अपर आयुक्त द्वारा पारित आदेश में वैधानिक त्रुटि प्रकट नहीं होती है। फलस्वरूप यह निगरानी आधारहीन होने से ग्राह्यता के स्तर पर ही निरस्त की जाती है। पक्षकार सूचित हो। प्रकरण दाखिल रिकार्ड हो। (एस0एस0 अली) सदस्य	